उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 10.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"उ0प्र0 सरकार" की मंशानुसार पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शारदीय नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान फेज-05 के तहत किया जा रहा कार्यक्रमों का आयोजन ।

उ०प्र० शासन की मंशानुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज -05) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.10.2024 को जनपद महोबा के समस्त थानों की पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जनपद महोबा के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रअन्तर्गत स्कूल-कॉलेज, मंदिर, पार्क, मॉल, आटो/बस स्टैंड व दुर्गा पुजा पंडाल सहित ग्रामीण कस्बों में जाकर महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया गया है। सभी को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-5 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई है और शासन/पुलिस द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा उनके सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 10.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा साहू इंटरनेशनल स्कूल कबरई, महोबा में स्कूली छात्राओं को जागरुकता पाठशाला के माध्यम से नारी सुरक्षा, नारी स्वाबलंबन एवं नारी सम्मान हेतु किया गया जागरूक-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज-5 के तहत आज दिनांक 10.10.2024 को थाना कबरई क्षेत्रअन्तर्गत साहू इंटरनेशनल स्कूल कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा में महिला सशक्तिकरण हेतु एक जागरुकता कार्यशाला का आयोजन क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे एवं प्रभारी निरीक्षक कबरई तथा महिला बीट पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।

पुलिस टीम द्वारा इस दौरान मिशन शक्ति फेज-5 तहत आयोजित जागरुकता पाठशाला में नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सशक्तिकरण हेतु उपस्थित स्कूली छात्राओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओ के संबंध में जानकारी दी गयी साथ ही किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090,1098 के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया व जागरुकता पम्पलेट का वितरण किया गया।

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 09.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 राजेश कुमार व उ0नि0 देवेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपयों-पैसों से हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.पप्पू अहिरवार पुत्र श्री लेखराज उम्र करीब 45 वर्ष 2.महेश अहिरवार पुत्र श्री लेखराज उम्र करीब 39 वर्ष 3.हरनारायन पाल पुत्र शीतल प्रसाद उम्र करीब 50 वर्ष 4.शिवचरन अहिरवार पुत्र स्व0 दसईया उम्र करीब 52 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम तेली पहाड़ी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम तेली पहाड़ी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामा तलाशी से 340 रूपये, मालफड़ 400 रुपये व 52 अदद ताश पत्ता बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ में मु0अ0सं0 189/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राजेश कुमार
2. उ0नि0 देवेन्द्र पाण्डेय
3. का0 कुंवर पाल
4. का0 रामनाथ गौतम

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 10.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त गोविन्द खंगार पुत्र भारत सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम करहरा कला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद झोले में दो पेटी जिसमें कुल 90 अदद क्वार्टर झूम ब्राण्ड देशी शराब ठेका नाजायज बरामद करते हुए ग्रामीण अवस्थापना केंद्र मंडी समिति कीरतपुरा गेट के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 244/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त–

गोविन्द खंगार पुत्र भारत सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम करहरा कला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी रिवई
2. हे0का0 राजकुमार यादव
3. कां0 पवन कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा त्यौहारों के दृष्टिगत थाना कुलपहाड़ में थाना क्षेत्र के दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना करने वाले तथा डीजे संचालकों के साथ बैठक की गई, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक- 10.10.2024 को थाना कुलपहाड़ में उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुराग प्रसाद एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार की संयुक्त अध्यक्षता में तथा प्र0नि0 कुलपहाड़ श्री अर्जुन सिंह की उपस्थिति में थाना क्षेत्र कुलपहाड़ में माँ दुर्गा प्रतिमा की स्थापना करने वाले पण्डाल समिति के सदस्यों एवं डीजे संचालकों के साथ मीटिंग आहूत की गई, इस दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा धर्मगुरुओं के साथ गहन समीक्षा के उपरांत सभी को शान्ति, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए हैं।

पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि कि जो भी आयोजक दुर्गा प्रतिमाओं को ट्रैक्टर ट्राली पर ले जाकर विसर्जित करने के प्रयास में हैं, कृपया मूर्ति विसर्जन हेतु छोटे हाथी वाहन का प्रयोग करें और बाकी जुलूस में सम्मिलित लोग सवारी वाहन से जाए। अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा न करें, यातायात नियमों का पालन करें, अपना तथा अपनों का जीवन सुरक्षित करें।

आगामी त्यौहारों एवं मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान डीजे में कोई भडकाऊ/अश्लील संगीत न बजाया जाये, आवाज कान फोडू न हो, प्रतिमा विसर्जन निर्धारित समय एवं निर्धारित रुट पर होगा, सभी से आह्वान किया गया कि दिन में ही विसर्जन करा लें। कोई भी प्रतिमा विसर्जन जुलूस के आगे पटाखे/फायर क्रैकर आदि नहीं फोडेगा। सडक के बायी ओर निर्धारित रुट में ही चलेंगे जिससे यातायात व्यवस्था सुचारु रुप से गतिमान बनी रहे। सभी वालिण्टियर की नियुक्ति करेंगे जो कि पण्डाल में उपस्थित रहकर पुलिस प्रशासन से समन्वय बनाये रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करें।